साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018

साक्षी सरंक्षण स्कीम, 2018

विषय-सूची

1.	प्राक्कथन	... 1-3
2.	लघु शीर्ष और प्रवर्तन	... 3
3.	परिभाषाएं	... 3-4
4.	संभावित खतरे की श्रेणियां	... 5
5.	राज्य साक्षी संरक्षण निधि	... 5
6.	सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करना	... 5
7.	आवेदन पर कार्रवाई करने से संबंधित प्रक्रिया	... 6-7
8.	संरक्षण उपायों के प्रकार	... 7-8
9.	मॉनीटरिंग और समीक्षा	... 8
10.	पहचान का संरक्षण	... 8-9
11.	पहचान में परिवर्तन	... 9
12.	साक्षी को दूसरी जगह बसाना	... 9
13.	साक्षियों को स्कीम से अवगत करवाना	... 9
14.	गोपनीयता और अभिलेखों का अनुरक्षण	... 10
15.	व्यय की वसूली	... 10
16.	समीक्षा	... 10
17.	साक्षी संरक्षण आवेदन	... 11-12

साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018

प्राक्कथन

लक्ष्य और उद्देश्य:

कानून का शासन बनाए रखने के लिए न्यायिक व्यवस्था में साक्षी द्वारा साक्ष्य देने अथवा विधि प्रवर्तन एजेंसियों और जांच अधिकारियों के साथ बिना किसी धमकी अथवा प्रतिहिंसा से निडर होकर सहयोग करने की स्थिति में होना आवश्यक है। इस स्कीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और विचारण इस कारण पक्षपातपूर्ण न हो जाए कि साक्षियों को हिंसक और अन्य आपराधिक प्रत्यारोपण से असुरक्षित होकर गवाही देने के मामले में धमकाया अथवा डराया जाता है। इसका लक्ष्य दांडिक विधि प्रवर्तन एजेंसियों और न्याय के समग्र प्रशासन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने में शामिल व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करके विधि प्रवर्तन को बढ़ावा देना है। साक्षियों को यह विश्वास प्रदान करना जरूरी है कि वे सुरक्षा के पूर्ण आश्वासन के साथ विधि प्रवर्तन और न्यायिक प्राधिकरणों को सहयोग प्रदान करने के लिए आगे आएं। इसका उन सभी उपायों की खोज करना है जिन्हें, साक्षियों और उनके परिवारों के सदस्यों को उनके जीवन, प्रतिष्ठा और सम्पत्ति के संबंध में त्रास अथवा धमकी से सुरक्षा करने के लिए अपनाया जा सके।

इस स्कीम की आवश्यकता और औचित्य:

जेरेमी बैन्थम ने कहा है कि *"साक्षी न्यायप्रणाली की आंख और कान हैं"।* जघन्य अपराधों के मामले में साक्षी अपनी जान-माल के खतरे के कारण मुकर जाते हैं। साक्षी यह महसूस करते है कि उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य की कोई सांविधिक कानूनी जिम्मेदारी नहीं है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम **अनिरूद्ध सिंह (1997) 6 एससीसी 514** में अभिनिर्णित किया कि "प्रत्येक उस गवाह, जिसे अपराध के घटित होने की जानकारी है, का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह गवाही देकर राज्य का सहयोग करे।" **दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी 2003 की मलीमत समिति** ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि "किसी अपराध की घटना के बारे मे गवाही देकर वह सच्चाई की खोज में न्यायालय को सहयोग देने के पावन कर्तव्य को निभाता है।" **जहीरा हबीबुल्ला एच शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य 2004 (4) एससीसी 158 में** उचित विचारण की परिभाषा देते हुए **भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि** "यदि साक्षियों को धमकी मिलती है अथवा उन्हें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है तो इससे निष्पक्ष विचारण भी नही हो पाएगा"

साक्षी सरंक्षण स्कीम, 2018

भारत में साक्षी संरक्षण का सर्वप्रथम संदर्भ 1958 में **भारत के विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट** में आया। तत्पश्चात इस संबंध में संदर्भ भारत के विधि आयोग की 154वीं और 178वीं रिपोर्ट में देखा जा सकता है। **"साक्षी पहचान संरक्षण और साक्षी संरक्षण कार्यक्रम, 2006"** शीर्षक वाली विधि आयोग की 198वीं रिपोर्ट इसी विषय पर केन्द्रित है।

पूर्व जहीरा मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि "कोई भी देश अपने नैतिक रूप से सही नागरिकों को बलात्कारियों और हत्यारों जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान नही होने दे सकता।" **राष्ट्रीय पुलिस आयोग की चौथी रिपोर्ट, 1980** में यह बल दिया गया कि "आरोपी के दबाव के कारण अभियोजन का साक्षी मुकर जाता है तथा साक्षियों के गलत प्रयोग को रोकने के लिए विधान की आवश्यकता है।"

विधायिका ने 2006 में भारतीय दंड संहिता की धारा 195क लागू की है और साक्षी को आपराधिक रूप से डराने को दांडिक अपराध माना है जिसके लिए सात वर्ष के कारावास की सजा है। इसी प्रकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011, लैगिंक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) 2012 और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 और अनुसूचित जातियां और जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नामक कानूनों में भी साक्षियों को धमकियों से बचाने की व्यवस्था की गई है। तथापि, समग्र रूप से साक्षी संरक्षण के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए अभी तक कोई औपचारिक संगठित कार्यक्रम नहीं चलाया गया है।

हाल ही के वर्षो में उग्रवाद, आतंकवाद और संगठित अपराधों की संख्या बढी है ये और मजबूत तथा विविधतापूर्ण हो गए हैं। ऐसे अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि साक्षियों का दांडिक न्याय प्रणाली में विश्वास हो। साक्षियों में विश्वास होना चाहिए ताकि वे विधि प्रवर्तन और अभियोजन एंजेसियों का सहयोग करने के लिए आगे आएं। उन्हें यह आश्वस्त करना है कि उन्हें उस धमकी और नुकसान की स्थिति में सहयोग और संरक्षण मिलेगा जिसे आपराधिक समूह, आपराधिक समूह विधि प्रवर्तन एंजेसियों के साथ सहयोग और न्यायालय के समक्ष गवाही देने में हतोत्साहित करने के लिए देते हैं। इसलिए, यह उचित समय है कि देश में समान रूप से साक्षी संरक्षण के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए एक स्कीम लागू की जाए।

स्कीम का क्षेत्र:

साक्षी संरक्षण साधारणतः इस रूप में भी हो सकता है कि साक्षी को न्यायालय कक्ष तक पुलिस अनुरक्षण के साथ ले जाया जाए अथवा साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी (जैसे ऑडियो, वीडियो माध्यम) का उपयोग किया जाए। दूसरे जटिल मामलों में, जिनमें संगठित

साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018

आपराधिक समूह शामिल हैं, साक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्थात उसकी पहचान छुपाने किसी सुरक्षित मकान में अस्थायी आवास देना, नई पहचान देना और अज्ञात स्थानों पर साक्षी को भेज देने जैसे विशेष उपाय करने जरूरी हैं। तथापि, साक्षी के संरक्षण की आवश्यकताओं को उनकी असुरक्षा और धमकी की आशंका के आधार पर मामले के अनुसार देखा जाना चाहिए।

1. <u>लघु शीर्ष और प्रवर्तन</u>

(क) स्कीम को "साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018" कहा जाएगा।

(ख) यह स्कीम अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।

भाग-I

2. **परिभाषाएं:**

(क) **"संहिता"** का अर्थ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) होगा;

(ख) **"साक्षी की पहचान को छुपाना"** का अर्थ है और जिसमें किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नाम या पते को प्रकाशित करने या प्रकट करने पर रोक लगाने वाली कोई भी स्थिति शामिल है, जो जांच, विचारण के दौरान और विचारणोत्तर, किसी भी स्तर पर साक्षी की पहचान का कारण बन सकती है;

(ग) **"सक्षम प्राधिकरण"** का अर्थ है, प्रत्येक जिले में एक स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष जिला और सत्र न्यायाधीश हों और जिले के पुलिस प्रमुख सदस्य तथा जिले के अभियोजन प्रमुख सदस्य सचिव हों ।

(घ) **"परिवार के सदस्य"** में साक्षी के माता-पिता / अभिभावक, पति / पत्नी, लिव-इन पार्टनर, भाई-बहन, बच्चे, साक्षी के पोता/पोती/नाता/नातिन शामिल हैं;

(ङ) **"प्रपत्र"** का अर्थ है, इस स्कीम के साथ जुड़ा "साक्षी संरक्षण आवेदन प्रपत्र";

(च) "व्यक्तिगत कक्ष में कार्यवाहियां" का अर्थ है वे कार्यवाहियां जिनमें सक्षम प्राधिकरण/न्यायालय केवल उन व्यक्तियों को उपस्थिति की अनुमति देता है जिनकी सुनवाई और साक्षी संरक्षण आवेदन पर निर्णय करने अथवा न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित रहने की आवश्यकता है;

(छ) **"लाइव लिंक"** का अर्थ है और जिसमें कोई ऐसा लाइव वीडियो लिंक अथवा ऐसी अन्य व्यवस्था शामिल है जिसके माध्यम से साक्षी किसी मामले में साक्ष्य हेतु न्यायालय में अथवा सक्षम प्राधिकरण से बातचीत करने के लिए भौतिक रूप से उपस्थित न होकर लिंक के माध्यम से उपस्थित रहे;

साक्षी सरंक्षण स्कीम, 2018

(ज) **"साक्षी संरक्षण उपायों"** का अर्थ है स्कीम के खंड 7, भाग- III, भाग- IV, भाग- V में वर्णित उपाय।

(झ) **"अपराध"** का अर्थ उन अपराधों से है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या सात साल और उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय हैं और साथ ही वे अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ और 509 के तहत दंडनीय अपराध हैं;

(ञ) **"खतरा विश्लेषण रिपोर्ट"** का अर्थ है, साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों के प्रति संभावित खतरे की गंभीरता और विश्वसनीयता से संबंधित जांच करने वाले जिला पुलिस प्रमुख द्वारा तैयार और प्रस्तुत एक विस्तृत रिपोर्ट। इसमें साक्षी या उसके परिवार द्वारा उनके जीवन, प्रतिष्ठा या संपत्ति के लिए खतरे की प्रकृति तथा खतरे की तीव्रता के बारे में विशिष्ट विवरण शामिल होंगे; इसके अलावा इसमें धमकी देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की मंशा, उद्देश्य और धमकी को पूरा करने संबंधी संसाधनों का विश्लेषण भी शामिल है।

यह इस मामले में किए जाने वाले उपायों के साथ विशिष्ट साक्षी संरक्षण उपायों के बारे में सुझाव देने के अलावा संभावित खतरे की धारणा को भी वर्गीकृत करेगा;

(ट) "साक्षी" का अर्थ ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो किसी अपराध के बारे में जानकारी या दस्तावेज रखता है;

(ठ) "साक्षी संरक्षण आवेदन" का अर्थ है, साक्षी संरक्षण आदेश की मांग के लिए इसके सदस्य सचिव के माध्यम से दिया गया सक्षम प्राधिकरण के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में साक्षी द्वारा आवेदन। यह आवेदन साक्षी, उसके परिवार के सदस्य, उसके विधिवत परामर्शदाता या संबंधित आईओ / एसएचओ / एसडीपीओ / जेल अधीक्षक द्वारा किया जा सकता है;

(ड) "साक्षी संरक्षण निधि" का अर्थ, इस योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन के दौरान किए गए खर्चों को वहन करने के लिए बनाया गया निधि है;

(ढ) "साक्षी संरक्षण आदेश" का अर्थ है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी संरक्षण के संदर्भ में लिए जाने वाले उपायों के विवरण से संबंधित पारित आदेश।

(ण) "साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ" का अर्थ है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस या केंद्रीय पुलिस एजेंसियों का एक विशिष्ट प्रकोष्ठ जिसे साक्षी संरक्षण आदेश को लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है।

साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018

भाग-II

3. संभावित खतरे के अनुसार साक्षियों की श्रेणियां:

श्रेणी 'क': जहां जांच/विचारण अथवा उसके बाद साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा हो।

श्रेणी 'ख': जहां जांच/विचारण अथवा उसके बाद साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा सम्पत्ति को खतरा हो।

श्रेणी 'ग': जहां जांच/विचारण के दौरान अथवा उसके बाद खतरा मामूली है और साक्षी के अथवा उसके परिवार के सदस्यों को डराने-धमकाने, प्रतिष्ठा अथवा सम्पत्ति से संबंधित है।

4. राज्य साक्षी संरक्षण निधि:

(क) साक्षी संरक्षण निधि के रूप में ज्ञात एक निधि होगी जिसमें से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन के दौरान हुए व्यय अथवा तत्संबंधी अन्य व्यय की पूर्ति की जाएगी।

(ख) साक्षी संरक्षण निधि में निम्नलिखित शामिल होगें :-

i. राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किया गया बजट संबंधी आवंटन;

ii. न्यायालयों/प्राधिकरणों द्वारा अधिरोपित लागत/जमा किए जाने के लिए आदेश की गई रकम की साक्षी संरक्षण निधि में प्राप्ति;

iii. लोक हितैषी/धर्मार्थ संस्थाओं/संगठनों और अलग-अलग व्यक्तियों, जिनको सरकार ने अनुमति दी है, से प्राप्त होने वाले दान/योगदान;

iv. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन दी गई निधियां।

(ग) उक्त निधि का संचालन राज्य/संघ राज्य सरकार के अधीन गृह विभाग/मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

5. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करना:

इस स्कीम के अंतर्गत संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन सदस्य सचिव के माध्यम से समर्थन दस्तावेज यदि कोई हो, के साथ संबंधित जिले, जहां अपराध हुआ है, के सक्षम प्राधिकरण के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में दायर किया जा सकता है।

साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018

6. <u>आवेदन पर कार्रवाई करने से संबंधित प्रक्रिया</u>:

(क) संबंधित प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर वह संबंधित पुलिस उप-प्रभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपाधीक्षक से खतरा विश्लेषण रिपोर्ट मंगाने के लिए तुरंत आदेश पारित करेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकरण आसन्न खतरे के कारण मामले में तात्कालिकता के आधार पर आवेदन की विचाराधीन अवधि के दौरान साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्यों के अंतरिम संरक्षण हेतु आदेश पारित कर सकता है।

बशर्ते कि आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को गंभीर तथा आसन्न खतरे के मामले में तत्काल संरक्षण देने से पुलिस को कोई बात नहीं रोकेगी।

(ग) पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए संभावित खतरा विश्लेषण रिपोर्ट को शीघ्रता से तैयार किया जाएगा और यह रिपोर्ट आदेश प्राप्ति के पांच कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकरण के पास पहुंच जाएगी।

(घ) खतरा विश्लेषण रिपोर्ट में खतरे की श्रेणी निर्धारित की जाएगी और उसमें साक्षी अथवा उसके परिवार को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए संरक्षण संबंधी उपायों का सुझाव भी शामिल होगा।

(ङ) साक्षी संरक्षण से संबंधित आवेदन पर कार्रवाई करते हुए, सक्षम प्राधिकरण साक्षी की संरक्षण जरूरतों का आकलन करने के लिए अधिमानत: व्यक्तिगत रूप से और यदि संभव नही है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए साक्षी और/अथवा उसके परिवार के सदस्यों/नियोजकों या उचित समझे जाने वाले अन्य किसी व्यक्ति से भी बातचीत करेगा।

(च) सक्षम प्राधिकरण द्वारा साक्षी संरक्षण आवेदन पर समस्त सुनवाई पूर्ण गोपनीयता रखते हुए गुप्त रूप से होगी।

(छ) आवेदन का निपटान पुलिस प्राधिकारियों से खतरा विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।

(ज) सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश का कार्यान्वयन, यथास्थिति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ अथवा विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित समस्त साक्षी संरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन का समग्र दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस प्रमुख का होगा।

तथापि, पहचान बदलने और/अथवा स्थान बदलने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित

साक्षी संरक्षण के आदेश का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के गृह विभाग द्वारा किया जाएगा।

साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018

(झ) साक्षी संरक्षण आदेश पारित हो जाने पर साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ सक्षम प्राधिकरण के समक्ष मासिक अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट दायर करेगा।

(ञ) यदि सक्षम प्राधिकरण यह पाता है कि साक्षी संरक्षण आदेश में संशोधन करने की आवश्यकता है अथवा उस संबंध में और विचारण पूरा होने पर आवेदन दायर किया गया है तो संबंधित पुलिस उपमंडल के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक से नई खतरा विश्लेषण रिपोर्ट मांगी जाएगी।

7. <u>संरक्षण उपायों के प्रकार</u>:

जिन साक्षी संरक्षण उपायों का आदेश दिया गया हो वे खतरे के अनुरूप होंगे और एक बार में विशिष्ट अवधि अर्थात् तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होंगे। इनमें निम्नलिखित शामिल होगा:

(क) यह सुनिश्चित करते हुए कि साक्षी और अभियुक्त का जांच अथवा विचारण के दौरान एक-दूसरे से सामना नहीं हो;

(ख) डाक और टेलीफोन कॉल की मॉनीटरिंग;

(ग) साक्षी के टेलीफोन नम्बर को बदलने अथवा उसे गैर-सूचीबद्ध टेलीफोन नम्बर देने के लिए टेलीफोन कम्पनी के साथ व्यवस्था करना;

(घ) साक्षी के घर पर सिक्योरिटी डोर्स, सीसीटीवी, अलार्म, फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा उपकरण लगाना;

(ङ) साक्षी को बदले हुए नाम अथवा वर्णाक्षरों से बुलाकर साक्षी की पहचान छिपाना;

(च) साक्षी के लिए आपात संपर्क व्यक्ति;

(छ) साक्षी घर के आसपास गहन संरक्षण, नियमित गश्त;

(ज) रिश्तेदार के घर अथवा आस-पास के नगर में साक्षी का अस्थायी तौर पर आवास बदलना;

(झ) न्यायालय आने-जाने के लिए एस्कार्ट प्रदान करना और सुनवाई की तारीख के लिए सरकारी वाहन अथवा राज्य के व्यय पर वाहन मुहैया करवाना;

(ञ) विचारण कमरे में करना;

(ट) बयान अथवा अभिसाक्ष्य दर्ज करने के दौरान मौजूद रहने के लिए एक सहायक व्यक्ति की अनुमति देना;

(ठ) विशेष रूप से निर्मित संवेदनशील साक्षी न्यायालय कमरों का उपयोग करना जिनमें साक्षियों और अभियुक्तों के लिए अलग-अलग रास्तों के अलावा लाइव वीडियो संपर्क, ऐसी वनवे मिरर और स्क्रीन जैसी विशेष व्यवस्थाएं हों जिसमें साक्षी के चेहरे के प्रतिबिम्ब में बदलाव करने

और साक्षी की आवाज के आडियोफीड में बदलाव करने का विकल्प हो ताकि उसकी पहचान न हो सके;

साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018

(ड) बिना स्थगन दैनिक आधार पर किए जाने वाले विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य की त्वरित रिकार्डिंग का सुनिश्चियन करना;

(ढ) स्थान बदलने, भरण-पोषण अथवा नया व्यवसाय शुरू करने, जो भी जरूरी समझा जाए, के प्रयोजन के लिए साक्षी संरक्षण निधि में से साक्षी को समय-समय पर आवधिक वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करना;

(ण) आवश्यक समझे जाने वाला संरक्षण का कोई अन्य प्रकार;

8. **मॉनीटरिंग और समीक्षा:**

संरक्षण आदेश पारित हो जाने पर, सक्षम प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेगा और इस मामले में प्राप्त अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टों के अनुसार उसकी समीक्षा करेगा। तथापि, सक्षम प्राधिकरण साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत मासिक अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार तिमाही आधार पर साक्षी संरक्षण आदेश की समीक्षा करेगा।

भाग-III

9. **पहचान का संरक्षण**

किसी अपराध की जांच अथवा विचारण के दौरान संरक्षण की मांग करते हुए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकरण के समक्ष उसके सदस्य सचिव के माध्यम से दायर किया जा सकता है।

आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकरण का सदस्य सचिव खतरा विश्लेषण रिपोर्ट मंगवाएगा। सक्षम प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्यों अथवा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य व्यक्ति से पूछताछ करेगा कि क्या पहचान संरक्षण आदेश पारित करनी की आवश्यकता है।

आवेदन की सुनवाई के दौरान,साक्षी की पहचान किसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे साक्षी की पहचान होने की संभावना रहती है। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकरण अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के अनुसार आवेदन को निरस्त कर सकता है।

सक्षम प्राधिकरण द्वारा एक बार साक्षी की पहचान का संरक्षण संबंधी आदेश जारी करने के बाद,साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे साक्षी/उसके परिवार के सदस्यों के नाम/वंश/पेशा/पता/डिजिटल फुटप्रिंटों सहित उसकी पहचान की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो सके।

साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018

सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत जब तक किसी साक्षी की पहचान का संरक्षण किए जाने तक साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ उन व्यक्तियों के ब्योरे उपलब्ध करवाएगा जिनसे आपात स्थिति में साक्षी द्वारा संपर्क किया जा सके।

भाग-IV

10. पहचान में परिवर्तन

उपयुक्त मामलों में, जहां पर साक्षी द्वारा पहचान में परिवर्तन का अनुरोध किया जाता है तो खतरा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा साक्षी को नई पहचान देने का निर्णय लिया जा सकता है।

नई पहचान देने में, नया नाम/पेशा/वंश प्रदान करना और सरकारी एजेन्सियों द्वारा स्वीकार्य सहायक दस्तावेज उपलब्ध करवाना शामिल है। इन नई पहचानों के कारण साक्षी विद्यमान शैक्षिक/व्यावसायिक/संपत्ति अधिकारों से वंचित नहीं होगा।

भाग-V

11. साक्षी को दूसरी जगह बसाना

उपयुक्त मामलों में, जहां पर साक्षी द्वारा दूसरी जगह पर बसाने का अनुरोध किया जाता है तो खतरा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी को दूसरी जगह पर बसाने का निर्णय लिया जा सकता है।

सक्षम प्राधिकरण साक्षी की सुरक्षा, कल्याण और कुशलता को ध्यान में रखते हुए साक्षी को भारत संघ के किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर बसाने का आदेश दे सकता है। इन खर्चों का वहन साक्षी संरक्षण निधि से किया जाएगा।

भाग-VI

12. साक्षियों को स्कीम से अवगत करवाना:

प्रत्येक राज्य इस स्कीम का व्यापक प्रचार करेगा। आईओ और न्यायालय, साक्षियों को "साक्षी संरक्षण स्कीम" और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी देंगे।

साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018

13. गोपनीयता और अभिलेखों का अनुरक्षण:

पुलिस, अभियोजन विभाग, न्यायालय स्टाफ, दोनों पक्षों के वकीलों सहित सभी हितधारक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में इस स्कीम के अंतर्गत होने वाली कार्यवाहियों से संबंधित किसी भी अभिलेख, दस्तावेज या सूचना को सिवाय विचारण न्यायालय/अपीलीय न्यायालय के किसी रूप में किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा, जिन्हें भी यह जानकारी लिखित आदेश पर ही दी जाएगी।

इस स्कीम के अंतर्गत कार्यवाहियों से संबंधित सभी अभिलेखों को उस समय तक अनुरक्षित किया जाएगा जब तक कि न्यायालय के समक्ष संबंधित विचारण या उससे संबंधित अपील लम्बित न हो। न्यायालय की अंतिम कार्यवाहियों के निपटान के एक वर्ष के बाद, सक्षम प्राधिकारी अभिलेखों की स्कैन की हुई सॉफ्ट प्रतियों का अनुरक्षण करने के बाद इसकी हार्ड प्रतियों को हटा सकता है।

14. व्यय की वसूली:

साक्षी द्वारा झूठी शिकायत दर्ज कराए जाने के मामले में, संबंधित सरकार का गृह विभाग साक्षी संरक्षण निधि से हुए व्यय की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

15. समीक्षा:

यदि साक्षी या पुलिस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट हैं तो, सक्षम प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने के 15 दिन के भीतर समीक्षा आवेदन किया जा सकता है।

साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018

के अंतर्गत

साक्षी संरक्षण आवेदन

(दो प्रतियों में भरा जाना है)

सक्षम प्राधिकारी,

जिला................. के समक्ष,

निम्न के लिए आवेदन:

1. साक्षी संरक्षण ☐
2. साक्षी पहचान संरक्षण ☐
3. नई पहचान ☐
4. साक्षी को दूसरी जगह पर बसाना ☐

1.	साक्षी का विवरण (स्पष्ट अक्षरों में भरें):	
	1) नाम	....
	2) आयु	....
	3) लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)	....
	4) पिता/माता का नाम	....
	5) आवास का पता	....
	6) साक्षी का नाम और परिवार के अन्य सदस्यों का ब्योरा जिन्हे धमकी मिल रही है या उसका अंदेशा है	....
	7) संपर्क ब्योरा (मोबाइल/ई-मेल)	....
2.	**आपराधिक मामले का विवरण:**	
	1) एफआईआर नं.	....
	2) किस धारा के अधीन है	....
	3) थाना	....
	4) जिला	....
	5) डी.डी. सं. (यदि एफआईआर दर्ज नहीं की गई है)	....
	6) आपराधिक मामला सं. (निजी शिकायत के मामले में)	....
3.	**आरोपी का विवरण (यदि उपलब्ध/ज्ञात है)**	
	1) नाम	....
	2) पता	....

4.	धमकी देने वाले/जिस पर धमकी देने का संदेह है उस व्यक्ति का नाम और अन्य विवरण	....
5.	धमकी की प्रकृति। तारीख, स्थान, तरीका और प्रयोग किए गए शब्दों के साथ मामले में प्राप्त धमकी का संक्षिप्त ब्योरा विशिष्ट।	....
6.	साक्षी द्वारा/के लिए आवेदित साक्षी संरक्षण उपायों का प्रकार	....
7.	अंतरिम/तात्कालिक साक्षी संरक्षण आवश्यकता का ब्योरा, यदि अपेक्षित है।	....

- आवेदक/साक्षी द्वारा अधिक जानकारी देने के लिए अतिरिक्त शीट्स का प्रयोग किया जा सकता है।

हस्ताक्षर सहित पूरा नाम

तारीख..................

स्थान..................

बचनबद्धता

1. मैं वचन देता हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकारी और राज्य के गृह विभाग तथा साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ के साथ पूरा सहयोग करूंगा।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।
3. मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो सक्षम प्राधिकारी को स्कीम के अंतर्गत साक्षी संरक्षण निधि से मेरे ऊपर किए गए खर्च की वसूली करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर सहित पूरा नाम

तारीख..................

स्थान..................